प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./मातृ स्वा./जे0एस0वाई0/8–6/2013–14/9311-75 दिनांक–30.05.2013

विषय– जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि के विभाजन में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–657/पॉच–9–2013–9(113)/05 दिनांक 15 मई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। इस शासनादेश के द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये आशाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि में निम्नवत संशोधन कर दिया गया है जो दिनांक 30 जून 2013 के पश्चात होने वाले सभी प्रसवों पर लागू होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये– ₹ 600.00 प्रति प्रसव
- **₹ 300.00 प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग के लिये**
- **₹ 300.00 संस्थागत प्रसव में सहयोग हेतु**

शहरी क्षेत्रों के लिये– रू0 400.00 प्रति प्रसव
- **₹ 200.00 प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग हेतु**
- **₹ 200.00 संस्थागत प्रसव में सहयोग हेतु**

इस सम्बन्ध में प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग हेतु आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू0–300.00 प्रति महिला के आबंटन को चरणबद्ध रूप से लागू करने के लिए निम्नानुसार तिथियाँ एवं मानक निर्धारित किये गये हैं जिससे आशाओं को समय से सूचना प्राप्त हो सके एवं जनपद स्तर पर व्यवस्थायें सुनिश्चित की जा सकें–

- दिनांक **01 जुलाई 2013 से** जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत होने वाले संस्थागत प्रसवों पर प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग हेतु ₹ 300.00 के भुगतान से पूर्व आशाओं को प्रसव हेतु लाई गयी लाभार्थी के
  a. एम0सी0पी0 कार्ड पर
  b. एम0सी0टी0एस0 नम्बर,
  c. मानकानुसार टिटनिस की सूइयाँ एवं
  d. 100 आयरन की गोलियाँ

  प्राप्त कराने का साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा तभी वे यह प्रोत्साहन धनराशि पाने के लिये अर्ह होंगी।
- दिनांक **01 अक्टूबर 2013 से** जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत होने वाले संस्थागत प्रसवों पर प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग हेतु ₹ 300.00 के भुगतान से पूर्व आशाओं को प्रसव हेतु लाई गयी लाभार्थी का एम0सी0पी0 कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर, मानकानुसार टिटनिस की सूइयाँ एवं 100 आयरन की गोलियाँ

प्राप्त करने के साथ–साथ **03 ए0एन0सी0 चेकअप** का साक्ष्य भी उपलब्ध कराना होगा तभी वे यह प्रोत्साहन धनराशि पाने के लिये अर्ह होंगी।

- इसी प्रकार दिनांक **01 जनवरी 2014 से** जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत होने वाले संस्थागत प्रसवों पर प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग हेतु ₹ 300.00 के भुगतान से पूर्व प्रसव हेतु लाई गयी लाभार्थी का एम0सी0पी0 कार्ड पर आशाओं द्वारा उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त प्रसव पूर्व जाँचों में **हीमोग्लोबिन की जाँच तथा एनीमिया की पहचान** के साक्ष्य भी उपलब्ध कराना होगा तभी वे यह प्रोत्साहन धनराशि पाने के लिये अर्ह होंगी।

सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों से अपेक्षा है कि उपर्युक्त शासनादेश के क्रियान्यवयन हेतु निम्नानुसार गतिविधियां सुनिश्चित करें–

- मुख्य चिकित्साधिकारी अपने जनपद के एम0सी0टी0एस0 प्रभारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एन0आर0एच0एम0, महिला चिकित्सालयों के प्रभारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के सदस्य, सभी ब्लॉक प्रभारियों एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों के साथ तत्काल 03–05 जून 2013 के मध्य एक बैठक का आयोजन करें जिसमें उपर्युक्त शासनादेश एवं एम0सी0टी0एस0 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करें।
- इस बैठक में सभी ब्लॉक प्रभारियों से एम0सी0टी0एस0 अंकन की उपयोगिता एवं प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा कर इसमें आने वाली कठिनाइयों को यथाशीघ्र दूर करने की रणनीति बनायें।
- सभी विकास खण्डों पर पर्याप्त संख्या में मातृ शिशु रक्षा कार्ड एवं एम0सी0टी0एस0 रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- सभी विकास खण्डों के ब्लॉक प्रभारियों एवं डिस्ट्रिक कम्युनिटी मोबिलाइजर को 07–10 जून 2013 के मध्य ब्लॉक स्तर पर सभी ए0एन0एम0 व आशाओं की बैठक बुलाने हेतु निर्देशित करें। इस सम्बन्ध में प्रत्येक ब्लॉकक की तिथि का निर्धारण जनपद स्तर पर आयोजित बैठक में ही करा लें।
- सभी ब्लॉक प्रभारी ए0एन0एम0 व आशाओं की बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने के चरणों व तिथियों पर चर्चा करें एवं वर्तमान में चिन्हित सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, मातृ शिशु रक्षा कार्ड पर अंकन एवं एम0सी0टी0एस0 रजिस्टर पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर के अंकन माह जून में पूर्ण कराने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दें। सभी ब्लॉक प्रभारी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों (पुरूष एवं महिला) के सहयोग से उपर्युक्त व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराना सुनिश्चित करें।
- उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने हेतु सभी स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष एवं महिला) एवं ए0एन0एम0 को आवश्यकतानुसार सूक्ष्म प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।
- सभी ब्लॉक प्रभारियों, डिस्ट्रिक कम्युनिटी मोबिलाइजर एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों (पुरूष एवं महिला) को ए0एन0एम0 के साथ मिलकर सभी चिन्हित गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, मातृ शिशु रक्षा कार्ड पर अंकन एवं एम0सी0टी0एस0 रजिस्टर पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर के अंकन का कार्य अभियान के रूप में 15 जून तक पूर्ण करने हेतु कैलेन्डर व निर्देश जारी करें।
- जनपद में वर्तमान व्यवस्था लागू करने के विभिन्न चरणों एवं दिनांक आदि का व्यापक प्रचार–प्रसार करें जिससे जन सामान्य को गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँचों के सम्बन्ध में लागू किये जा रहे इस विशेष कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं क्रियान्वयन की जानकारी हो सके।

आशाओं के भुगतान की व्यवस्था

आशाओं को गर्भवती महिला के साथ प्रसव हेतु चिकित्सा इकाई तक आने के लिए ₹ 300.00 का भुगतान प्रत्येक स्थिति में किया जाना है किन्तु प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग हेतु ₹ 300.00 के भुगतान के लिए निम्न व्यवस्था लागू होगी–

- आशाओं द्वारा गर्भवती महिला को प्रसव हेतु चिकित्सा इकाई पर लाते समय महिला का मातृ शिशु रक्षा कार्ड एवं कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर का अंकन साथ में लाना सुनिश्चित करना होगा।
- दिनांक 01 जुलाई 2013 से प्रसव इकाई पर भर्ती के समय मातृ शिशु रक्षा कार्ड की उपलब्धता, एम0सी0टी0एस0 नम्बर, दूसरी टिटनेस की सूई तथा 100 आयरन की गोलियों की प्राप्ति की सूचना प्रभारी/ऑन ड्यूटी चिकित्साधिकारी/स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0 द्वारा भर्ती की बी0एच0टी0 पर अंकित की जायेगी। दिनांक 01 अक्टूबर 2013 से इसके साथ 03 ए0एन0सी0 चेकअप का होना भी अंकित किया जायेगा, इसी प्रकार दिनांक 01 जनवरी 2013 से हीमोग्लोबिन की जाँच किये जाने की सूचना भी अंकित की जायेगी।
- उपर्युक्त सूचनाओं की उपलब्धता के आधार पर आशाओं को जननी सुरक्षा योजना में महिला के साथ आने के लिये प्राविधानित ₹ 300.00 के साथ–साथ प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग के लिए प्राविधानित ₹ 300.00 के भुगतान हेतु चिकित्सा इकाई के प्रभारी/ऑन ड्यूटी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा अन्यथा केवल ₹ 300.00 के भुगतान का ही प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने पर पूर्व व्यवस्थानुसार आशाओं का ससमय भुगतान किया जायेगा।

ज्ञात रहे कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह संशोधन प्रदेश में गुणवत्तापरक प्रसव पूर्व देखभाल के माध्यम से मातृ–मृत्यु व नवजात मृत्यु दर को नियन्त्रित करना है किन्तु इसकी अकेली जिम्मेदारी आशा की ही नहीं मानी जानी चाहिये। इस गतिविधि के सकारात्मक परिणामों के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक चिकित्सा इकाई पर व आउटरीच सत्र में एक टीम के रूप में कार्य करते हुए प्रत्ययेक गर्भवती की प्रसव पूर्व जाँचें सुनिश्चित की जाएं।

सभी मुख्य चिकित्साधिकारी शासनादेश संख्या–657/पाँच–9–2013–9(113)/05 दिनांक 15 मई 2013 के अनुपालन में उपर्युक्तानुसार सभी व्यवस्थायें लागू कर 01 जुलाई से आशाओं के संशोधित भुगतान आरम्भ करें। यह सुनिश्चित करें कि व्यवस्थाओं के अभाव में आशाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

30/5/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसं0–एस.पी.एम.यू./मातृ स्वा./जे0एस0वाई0/8–6/2013–14/934-75-9 **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4 समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति ,एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
5 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6 महाप्रबन्धक, नियमित टीकाकरण,एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0,उत्तर प्रदेश।
7 महाप्रबन्धक,एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0, ,एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0,उत्तर प्रदेश।
8 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9 समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

30/5/13
(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

OC